

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायतीराज,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 21 अप्रैल, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान के आय-व्ययक की आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष की वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या-504/XXVII(1)/2016, दिनांक 04 अप्रैल, 2016 एवं आपके पत्र संख्या-46/पं0-2/लेखा/वा0 यो0/2016-17 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 के एक हिस्से (दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2016) हेतु लेखानुदान की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 19, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 236631 हजार ( रू0 तैईस करोड़ छियासठ लाख इकत्तीस हजार मात्र) तथा आयोजनागत पक्ष में रू0 25666 हजार ( रू0 दो करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 262297 हजार ( रू0 छब्बीस करोड़ बाईस लाख सत्तानवें हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2016 एवं 04.04.2016 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।



4. वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
5. आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों के संबंध में त्रैमास आधार पर किशतों में बजट प्राविधान के (अंश की धनराशि अथवा संबंधित त्रैमास हेतु वास्तविक रूप से आवश्यक धनराशि, जो भी कम हो) प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखी जायेगी। इस संबंध में यह ध्यान दिया जायेगा कि यदि किसी मुद्रण/लिपिकीय त्रुटि से किसी मद में माँग से अधिक धनराशि बजट प्राविधान प्रदर्शित हो रहा हो तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही उक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या: 19, 30 एवं 31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशक, पंचायतीराज एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।
7. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2016-17 में बजट प्राविधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
8. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी.एम.-8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :- सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 894 (1)/ XII(1) /16-82(08)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे०एल०शर्मा)  
उप सचिव।  
1

शासनादेश संख्या: 894 (1)/XII(1)/16-82(08)/2016 दिनांक 21 अप्रैल, 2016 का संलग्नक

अनुदान सं०-19

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा  
प्रशासन-04-पंचायतीराज अधिष्ठान-

(रूपये हजार में)

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
01-वेतन		1813
02-मजदूरी		33
03-महंगाई भत्ता		1860
04-यात्रा व्यय		17
05-सीनांतरण यात्रा व्यय		10
06-अन्य भत्ते		263
07-मानदेय		5
08-कार्यालय व्यय		33
09-विद्युत देय		33
10-जलकर/जल प्रभार		33
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		27
13-टेलीफोन पर व्यय		33
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		133
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		33
19-विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन व्यय		17
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		17
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		67
29-अनुरक्षण		33
42-अन्य व्यय		17
45-अवकाश यात्रा व्यय		3
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		17

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय		33
<b>योग-</b>		<b>4580</b>

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-03 पंचायतीराज अधिष्ठान-

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
01-वेतन		12833
02-मजदूरी		100
03-महंगाई भत्ता		15235
04-यात्रा व्यय		183
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय		67
06-अन्य भत्ते		1500
08-कार्यालय व्यय		380
09-विद्युत देय		100
10-जलकर/जल प्रभार		17
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		77
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		33
13-टेलीफोन पर व्यय		70
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		440
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		17
18-प्रकाशन		3
19-विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन व्यय		3
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		267
42-अन्य व्यय		87
45-अवकाश यात्रा व्यय		67
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय		50
<b>योग-</b>		<b>31579</b>

2

07-विकासखण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि-

क्षेत्र पंचायत  
विकास निधि  
(सामान्य 30-2)

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
42-अन्य व्यय	15000	

09-निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण-

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
42-अन्य व्यय	833	

13-त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण-

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
42-अन्य व्यय	833	

04-वन पंचायत-

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
01-वेतन		733
03-महंगाई भत्ता		867
04-यात्रा व्यय		17
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय		10
06-अन्य भत्ते		83
08-कार्यालय व्यय		33
09-विद्युत देय		7
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		17
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		17
योग:-		1784

05-पंचायत अनुश्रवण कोषक-

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
01-वेतन		267



02-मजदूरी		133
03-महंगाई भत्ता		373
04-यात्रा व्यय		3
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय		3
06-अन्य भत्ते		40
07-मानदेय		3
08-कार्यालय व्यय		27
09-विद्युत देय		7
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		13
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		17
13-टेलीफोन पर व्यय		17
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद		33
16-व्यवासायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		33
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		23
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		17
47-कम्प्यूटर <u>अनुरक्षण/सत्संबंधी</u> स्टेशनरी का क्रय		17
योग:-		1026

**0805-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)**

मानक मद	आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
01-वेतन		92844
03-महंगाई भत्ता		89163
04-यात्रा व्यय		500
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय		267
06-अन्य भत्ते		14455
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		333
45-अवकाश यात्रा व्यय		100



योग:-		197662
-------	--	--------

अनुदान संख्या-30

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-

0201-विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि की स्थापना-

मानक मद	आय-व्यय अनुमान 2016-17	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
42-अन्य व्यय	6667	


अनुदान संख्या-31

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-

796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-

03-विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि-

मानक मद	आय-व्यय अनुमान 2016-17	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
42-अन्य व्यय	2333	
कुल योग:-	25666	236631
महायोग (आयोजनागत + आयोजनेत्तर)		262297

  
(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव

प्रेषक,

दमयंती दोहरे,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायतीराज,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 26 अगस्त, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की आयोजनागत पक्ष की मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 19, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 51334 हजार ( रू0 पांच करोड़ तैरह लाख चौतिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

9. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2016, 04.04.2016 एवं दिनांक 26.07.2016 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

11. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

12. वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

26/8/16

10.

11.

12.

26/8/16

निदेशक

पंचायतीराज

उत्तराखण्ड, देहरादून

26/8/2016

15/8/16  
29/8/16

29/8/16

13. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या: 19, 30 एवं 31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशक, पंचायतीराज एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।
14. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2016-17 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
15. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी.एम.-8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :- सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

  
(दमयंती दोहरे)  
सचिव।

संख्या: — (1)/XII(1)/16-82(08)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(जे०एल०शर्मा)  
उप सचिव।

07-विकासखण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि-

मानक मद	आयोजनागत
42-अन्य व्यय	30000

09-निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण-

मानक मद	आयोजनागत
42-अन्य व्यय	1667

13-त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण-

मानक मद	आयोजनागत
42-अन्य व्यय	1667

अनुदान संख्या-30

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-

0201-विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि की स्थापना-

मानक मद	आयोजनागत
42-अन्य व्यय	13333

अनुदान संख्या-31

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-

798-जनजाति क्षेत्र उप योजना-

03-विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि-

मानक मद	आयोजनागत
42-अन्य व्यय	4667
कुल योग:-	51334

  
(दमयंती दोहरे)  
सचिव।